



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी मकसूद को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जानेपर हुई 04 माह 15 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2001 में अभियुक्त मकसूद पुत्र अय्यूब निवासी करबा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 134/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.06.2026 को मा0 न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मकसूद को दोषी पाते हुए 04 माह 15 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 23.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 395/26 धारा 123/70(2)/351(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट व 67 ए IT ACT में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 395/26 धारा 123/70(2)/351(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट व 67 ए IT ACT पंजीकृत में वांछित 01 अभियुक्त साकीब को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साकीब पुत्र असफाक निवासी ग्राम निवाडा
थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.का0 819 सोनू कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2.का0 285 प्रशान्त बरूआ थाना कोतवाली बागपत
- 3.एचजी 352 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत